न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः— उपस्थितः श्री सुनील कुमार IV (एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P1885
सत्र परीक्षण संख्या— 580/2022

राज्य प्रति धीरज सिंह वगैरह

<u>आरोप</u>

मैं ,सुनील कुमार IV सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,

आप अभियुक्तगणः—

1. धीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह,
2. नीरज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह,
3. शैलेश सिंह पुत्र विजयी सिंह,

पर निम्न आरोप लगाता हूंः—

प्रथमः— यह कि दिनांक 01—01—2020 को सायंकाल 05.30 बजे ग्राम बरियारपुर, थाना इलिया, जिला चन्दौली में आप लोगों ने पूर्व विवाद के अनुक्रम में वादी वगैरह को मारने—पीटने के सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर वादी एवं उसके पुत्र को जान से मारने की नियत से इस आशय व ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में आग्नेयास्त्र से फायर किया जिससे वादी के पुत्र अर्पित सिंह के पैर में गोली की चोट लगी और इससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या का अपराध कारित करने के दोषी होते। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 307 सपठित 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः— यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से वादी वगैरह को भद्दी—भद्दी गालियां दिया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः—यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर उपरोक्त वर्णित आपराधिक कृत्य करने के अनुक्रम में आपलोगों ने वादी एवं उसके पुत्र को जान से मार डालने की आपराधिक धमकी दिया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 506 (2) भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगों को आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः—20—10—2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः—20—10—2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
सत्र परीक्षण संख्या–580/2022

राज्य प्रति धीरज सिंह वगैरह

20–10–2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह एवं शैलेश सिंह मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह एवं शैलेश सिंह पर धारा 307/34, 504, 506 (2) भा0दं0सं0 का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

बादहू,

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण उपस्थित है। अभियुक्तगण धीरज सिंह, नीरज सिंह एवं शैलेश सिंह पर धारा 307/34, 504, 506 (2) भा0दं0सं0 का आरोप लगाया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु मुकदमा दिनांक 18–11–2022 को प्रस्तुत हो।

सेशन जज,
चन्दौली।

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2022.10.20 04:21:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court